# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

**(कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)**

प्रकरण संख्या 29/2025
प्रविष्टि दिनांक 01.08.2025

प्रहलाद पुत्र गोपाल निवासी खरेडा तहसील व जिला टोंक राज.

—अपीलांट

बनाम

नायब तहसीलदार बरवास जिला टोंक राज0

—रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार बरवास दिनांक 15.07.2025 मिसल नम्बर 424/2025**

उपस्थिति : (1) श्री भागचंद बैरवा, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** दिनांक 16.12.2025

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बरवास ने अपने निर्णय दिनांक 15.07.2025 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.06 है0 किस्म गै.मु.रास्ता वाके ग्राम खरेडा तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 50/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बरवास के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया है। अपीलांट के विरूद्व भू–माफिया एंव अतिक्रमियो द्वारा अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर झूठी शिकायत की है,जबकि स्वंय शिकायतकर्ता द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1432 रकबा 1.23 है. मे हिस्सा 1/15 वाके ग्राम खरेडा मे स्थित है।उक्त आराजी के पास ही खसरा नम्बर 1431 किस्म गै.मु.रास्ता स्थित है और उसके बाद खसरा नम्बर 1430/3728 स्थित है। अपीलांट की भूमि एंव खसरा नम्बर 1431 के मध्य गै.मु.रास्ता खसरा नम्बर 1431 मे

जिला कलेक्टर
टोंक

बना हुआ है। अपीलांट अपनी खातेदारी की भूमि पर ही काबिज है। स्वंय अपीलांट एंव उसके परिवार के लोगो ने अपनी भूमि मे से 0.05 है. भूमि रास्ते के लिये छोड रखी है। खसरा नम्बर 1430/3728 के खातेदार द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने से उक्त रास्ता छोटा हो गया है। पडोसी खातेदार की शिकायत करने पर भी उसके विरूद्व कोई कार्यवाही नही हुई है। अपीलांट मौके की जांच कर नाप–चोप करने हेतु अनेक बार निवेदन कर चुका है। अपीलांट ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। तहसीलदार टोंक ने भी अपनी रिपोर्ट मे अपीलांट का कब्जा नही माना है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने जवाबी बहस मे कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1431 रकबा 0.06 है0 किस्म गै.मु.रास्ता वाके ग्राम खरेडा तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा करने पर नायब तहसीलदार बरवास द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट स्वंय न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की स्वंय की तामील हुई है। अपीलान्ट स्वंय न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1431 रकबा 0.06 है0 किस्म गै.मु.रास्ता वाके ग्राम खरेडा तहसील टोंक पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर अपना कब्जा कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2025 को पुलिस प्रशासन की उपस्थित मे अतिक्रमण हटाया जा कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। खसरा नम्बर 1431 किस्म गै.मु.रास्ता के संबंध मे दिनांक 14.07.2025 को प्रशासक ग्राम पंचायत खरेडा पंचायत समिति टोडारायसिंह द्वारा नायब तहसीलदार बरवास को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि उक्त खसरा नम्बर पर प्रहलाद (अपीलांट) बैरवा द्वारा ग्रेवल रोड के कार्य मे बाधा उत्पन कर रहा है। अपीलांट ने उक्त खसरा नम्बर पर से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार टोंक ने अपने पत्र कमांक 12378 दिनांक 10.10.2025 से प्रेषित रिपोर्ट मे अपीलांट द्वारा वर्तमान मे उक्त रास्ते की भूमि को छोड दिया है का उल्लेख किया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न पटवारी हल्का खरेडा के बयान का अवलोकन करने से विदित होता है कि पटवारी ने अपने बयानो में "अतिक्रमी को पूर्व मे भी मौखिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जा चुका है,परन्तु अतिक्रमी बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अतिक्रमी को बार–बार समझाईश की गई दिनांक 07.05.2025 को समझाईश की गई उसके बाद दिनांक 28.05.2025 को पुलिस प्रशासन की उपस्थित मे अतिक्रमण हटाया जाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। अतिक्रमण हटाने के बावजूद भी अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि पर पुनः अतिक्रमण करते हुये ग्राम पंचायत को

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

कार्य करने से मना कर दिया का उल्लेख है।'' उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट/अतिक्रमी सार्वजनिक उपयोग की रास्ते की भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बरवास का निर्णय दिनांक 15.07.2025 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)